

589/2018/18

28/3/18



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मोहम्मद आरिफ खान 2. वर्तमान धारित पद निज सहायक
 3. वर्तमान वेतन 44,600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) अशोक विहार नगर निगम कालोनी, मोपाल	संयुक्त स्वामित्व के आवासीय भूखण्ड पर निर्मित आवास			उक्त आवास का स्वामित्व माताजी, छोरे माई एवं स्वयं के नाम संयुक्त रूप से है।	स्वयं की खरीद से एवं शेष शक्ति को व्यवस्था जिताने एवं छोरे माई से की है।	निरंक	निरंक
2) ग्राम - सतगढ़ी कोलार रोड मोपाल	संयुक्त स्वामित्व के कृषि फार्म का अंश			उक्त कृषि फार्म मेरे एवं छोरे माई के नाम संयुक्त रूप से है।	स्वयं की खरीद से एवं शेष शक्ति छोरे माई द्वारा की है।	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर M. A. Khan
 नाम मोहम्मद आरिफ खान
 पद निज सहायक